फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

72 लल्लू बनाम बद्रीनारायण

केस संख्या : 76/24

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/07/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व0फ0उप0। उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी को आवश्यकरूप से बहस करे। पत्रावली दिनांक 30/07/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	30/7/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/8/25 को पेश हो। [signature]
	6/8/25	पत्रावली आज दिनांक 6/8/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/8/25 को पेश हो।
	8/8/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली [illegible] आदेश........................ अनुसार आगामी [illegible] दिनांक 11/8/25 को पेश हो। [signature]
	11/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 14/8/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	14/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। प्रस्तुत [illegible] दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है अतः प्रा०प० अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

<u>फर्द अहकाम</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

TR

[illegible]

... : 76/24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	तथा उत्तरपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दावा के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 76/2024
पक्षकारान – लल्लूराम बनाम बद्रीनारायण वगैरा
निर्णय दिनांक :– 20.08.2025

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 16.10.2024

प्रार्थना पत्र संख्या– 76/2024

लल्लूराम पुत्र रामानंद जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी गांव बैनाड़ मई दौलतपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र गोपी
2. तेजपाल पुत्र केदीलाल
3. मूलचंद पुत्र केदीलाल
4. जगदीश पुत्र केदीलाल
5. ठाकरसीराम पुत्र भूराराम
6. रामधन पुत्र भूराराम
7. रामपाल पुत्र भूराराम
8 रामलाल पुत्र भूराराम
9. सीताराम पुत्र भूराराम
10. बंशीधर पुत्र जैराम
11. भैरूलाल पुत्र स्व० हरिनारायण
12. नानूराम पुत्र रामानंद
13. चन्दालाल पुत्र रामानन्द
14. रामनारायण पुत्र सुरजमल
15. नरेन्द्र पुत्र सुरजमल
16. गंगासहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण
17. नानूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण
18. रामवतार पुत्र लक्ष्मीनारायण
19. मदन पुत्र नानूराम
20. श्रवण पुत्र नानूराम
21 सुरेश पुत्र नानूराम
22. कमलेश पुत्र गंगाराम
23. घनश्याम पुत्र गंगासहाय
24. नाथूलाल पुत्र जगन्नाथ
25. श्यामलाल पुत्र जगन्नाथ
26. राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ
27. नानूलाल पुत्र जगन्नाथ
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी गांव बैनाड़ मई दौलतपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
29. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
30. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग रामबाग सर्किल जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

......अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 20.08.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर हाल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के अन्तर्गत साबिक खसरा नम्बर 18, 23, 24, 38, 83, 103, 117, 118, 123, 133, 134 कुल किता 11 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा था। जिसके हाल खसरा नम्बर 35, 37, 38, 47, 48, 51, 52, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, अकुल किता 26 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज पूर्व से लगान सरकारी अदा करते थे तथा निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करते हुये कृषि कार्य करके अपना जीवनयापन करते थे, वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते हुये लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। उक्त आरजी को आगे के मदो में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी में रामनाथ भूरा पुत्रान किशना का 1/2 हिस्सा मुताबिक खतौनी संवत 2010 लगायत 2023 में अंकित है रामनाथ की मृत्यु हो चुकी है तथा मृत्यु के पश्चात रामनाथ के वारिसान एक पुत्र देवीलाल जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है वर्तमान में देवीलाल के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 है तथा भूरा पुत्र किशना की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 हैं, एवं शेष अप्रार्थीगण सजरा खानदान के अनुसार वर्तमान में संयोजित हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा परिशोधन पत्र के द्वारा संवत 2040 अर्थात वर्ष 1983 में दौराने सेटलमेन्ट उपरोक्त आराजी का तत्समय खातेदारी के मध्य विभाजन पत्र तैयार किया जाकर विभाजन कर दिया गया था, चूँकि खातेदारों के मध्य हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना चाहिए था किन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा कुछ काश्तकारों के साथ मिलीभगत करते हुये तथा बेजा लाभ पहुंचाने की गरज से लालचवश कुछ काश्तकारों को उनके हिस्से अनुसार कम भूमि दे दी गई तथा कुछ काश्तकारों को उनके हिस्से से अधिक भूमि दे दी गई। ग्रामीण काश्तकार व्यक्ति कम पढे लिखे तथा अनपढ होने के कारण तत्समय [illegible] खसरा परिशोधन पत्र द्वारा किये गये विभाजन को नही समझ पाये तत्पश्चात सेटलमेन्ट [illegible] द्वारा उक्त खसरा परिशोधन द्वारा किये गये विभाजन अनुसार जमाबन्दी [illegible] मद संख्या 2 में वर्णित आराजी का अलग अलग खाते कायम कर दिये गये। उपरोक्त आराजी का विभाजन निम्न अनुसार किया गया था :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

1. रामनाथ पुत्र किशना को निम्न खसरा नम्बरान् दिये गये–खसरा नम्बर 48 रकबा 0.70 हैक्टेयर, 104 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 167 रकबा 0.83 हैक्टेयर, 173 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 175

रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.89 हैक्टेयर। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी के 1/4 भाग तत्समय खातेदार काश्तकार थे तथा वर्तमान में बंटवारे अनुसार प्राप्त आराजी के अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 खातेदार काश्तकार हैं।

2. भूराराम पुत्र किशना को निम्न खसरा नम्बर की भूमि दी गई–खसरा नम्बर 47 रकबा 0.60 हैक्टेयर, 106 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 166 रकबा 0.83 हैक्टेयर, 170 रकबा 0.50, 177 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.78 हैक्टेयर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी का 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार है एवं वर्तमान में बंटवारे अनुसार प्राप्त आराजी के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी में हिस्से अनुसार कुल भूमि 55 बीघा 17 बिस्वा में 1/4 भाग अर्थात लगभग 14 बीघा भूमि हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 के पूर्वज भूराराम को खसरा नम्बर 47, 106, 166, 170, 177 कुल किता 5 कुल रकबा 2.78 हैक्टेयर अर्थात रकबा 11 बीघा 3 एयर जमीन ही दी गई, जो कि हिस्से अनुसार लगभग 3 बीघा भूमि कम हैं।

3. नाथूलाल, श्यामलाल, राधेश्याम, नानूलाल पिता जगन्नाथ को निम्न भूमि दी गई खसरा नम्बर 168 रकबा 0.72 हेक्टेयर भूमि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में नाथूलाल, श्यामलाल, राधेश्याम, नानुलाल पिता जगन्नाथ का हिस्सा कोई नहीं था फिर भी सेटलमेन्ट कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त विभाजन पत्र के द्वारा खातेदारी प्रदान कर दी गई जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थी कानूनन अधिकारी हैं।

4. बंशीधर पुत्र जयराम को निम्न भूमि दी गई:– खसरा नम्बर 35 रकबा 0.35 हैक्टेयर खसरा नम्बर 107 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी का 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार है बंशीधर के पिता जयराम की मृत्यु के पश्चात एकमात्र वारिस अप्रार्थी संख्या 9 हैं।

5. रामानन्द पुत्र गंगाबक्श को निम्न भूमि दी गई– खसरा नम्बर 51 रकबा 0.49 हैक्टेयर खसरा नम्बर 108 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में रामानन्द पुत्र गंगाबक्श का 1/8 भाग निहित था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 12 के नाम खातेदारी में दर्ज एवं इन्द्राज हैं।

6. रामनाथ, भूरा पिता किशना हिस्सा 1/2, [illegible] जयराम हिस्सा 1/8 हिस्सा 1/8, रामानन्द पुत्र गंगाबक्श लक्ष्मीना[illegible] 1/4 आदि के निम्न खसरा नम्बरान विभाजन में शामलाती रूप से दिये गये खसरा [illegible] 37 रकबा 0.09 हैक्टेयर खसरा नम्बर 38 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 113 रकबा 0.96 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर कायम किये गये, विभाजन पत्र में जिस खाते का विभाजन किया गया उस खाते में विभाजन पत्र तैयार करते समय सेटलमेन्ट कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा बेजा लाभ अर्जित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

करने की गरज से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 की जमाबन्दी मे उक्त नम्बरों का अंकन हिस्से अनुसार दर्ज नही किया, जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाने का कानूनन अधिकारी हैं।

7. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपी को निम्न भूमि विभाजन अनुसार दी गई– खसरा नम्बर 52 रकबा 0.86 हैक्टेयर खसरा नम्बर 105 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 171 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 0.38 हैक्टेयर खसरा नम्बर 178 रकबा 0.45 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर कायम किये गये प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में गोपी पुत्र माना 1/4 भाग का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था, गोपी की मृत्यु के पश्चात विधिक वारिसान, बद्रीनारायण, सुरजमल, लक्ष्मीनारायण थे तथा उक्त आराजी का विभाजन पत्र तैयार करते समय जीवित अवस्था में थे किन्तु लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपी ने सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलीभगत कर गोपी पुत्र माना के 1/4 भाग की सम्पूर्ण भूमि विभाजन पत्र के आधार पर ही तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज व बिना सहमति पत्र के बिना ही सूरजमल एवं बद्रीनारायण के हिस्से की खातेदारी समाप्त कर दी तथा अपने स्वयं के नाम सम्पूर्ण आराजी करवा ली, जिसका कि सेटलमेन्ट अधिकारी कर्मचारियों को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। जिसकी घोषणा माननीय न्यायालय से प्रार्थी करवाने का अधिकारी हैं।

8. बंशीधर पुत्र जैराम, रामनन्द पुत्र गंगाबक्श को विभाजन के अनुसार निम्न भूमि दी गई– खसरा नम्बर 169 रकबा 0.51 हेक्टेयर खसरा नम्बर 176 रकबा 0.55 हैक्टेयर कल किता 2 कुल रकबा 1.06 हेक्टेयर भूमि कायम की गई।

9. यह कि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों को विधि विरुद्ध मनमाने तरीके से किसी भी खातेदार काश्तकार की आराजी के हिस्से की आराजी को हिस्से कम अथवा अधिक बिना किसी सक्षम न्यायालय अथवा अर्थोरिटी के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में दर्ज अथवा अंकित करने का विधिक अधिकार प्राप्त नही था प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी को सेटलमेन्ट कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा उपरोक्त आराजी का विधिक विभाजन नही किया कि बल्कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 को उनके हिस्से 1/4 भाग से कम भूमि दी है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 का 1/4 भाग राजस्व रिकार्ड खतौनी संवत 2010 लगायत 2023 एवं संवत 2040 में दर्ज व अंकित हैं। इसलिये प्रार्थी अपने अधिकारों की घोषणा हेतु तत्समय किये गये विभाजन को निरस्त करवाकर हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। जिसकी घोषणा [illegible] न्यायालय से करवाया जाना प्रार्थनीय हैं।

10. प्रार्थी कई बार प्रार्थना पत्र की मद [illegible] आराजी जो कि राजस्व रिकार्ड में कम ज्यादा है तथा सेटलमेन्ट कर्मचारियों / अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खातेदारी प्रदान की गई है तथा गलत खसरा नम्बर अंकित दिये गये है को दुरूस्त करवाने बाबत् अप्रार्थीगणो से निवेदन कर चुका है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी की बातो पर गौर नही करके केवल टालमटोल का रवैया अपनाते रहे है। इसी दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपीराम ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से मिलीभगत कर उक्त आराजी के खसरा नम्बर 171, 172, 178 एवं खसरा नम्बर 48 का विनिमय जरिये रजिस्टर्ड विनिमय पत्र दिनांक 4/1/2011 को बाला–बाला ही उप पंजीयक जयपुर तृतीय के समक्ष करवा लिया जिससे खसर नम्बर 48 की खातेदारी लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपी के दर्ज हो गई तथा खसरा नम्बर 171, 172, 178 की खातेदारी रामनाथ पिता किशना के वारिसान हाल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हो गई तथा लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपी ने इसके पश्चात उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 15/3/2020 एवं 18/3/2020 एवं 15/1/2021 को हाल अप्रार्थी संख्या 18 लगायत 22 के नाम ट्रांसफर करवा दी जबकि उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसे कानूनन उपहार में नहीं दी जा सकती। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये अप्रार्थीगण संख्या 18 लगायत 22 ने जेडीए अधिकारियों से मिलीभगत करते हुये खसरा नम्बर 48 को बाला–बाला ही बिना प्रार्थी को सूचना दिये ही 90ए की कार्यवाही बिना सडक होते हुये भी करवा ली। जबकिखसरा नम्बर 48 का विभाजन कर 1103/48 खसरा मम्बर की उपरोक्त भूमि पर आज भी खेती की जा रही है तथा खसरा नम्बर 48 के कुछ हिस्से पर आज भी पूर्वजों के समय से प्रार्थी का कब्जा काश्त हैं, तथा प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण को आपसी सहमति के आधार पर तहसील चलकर उक्त सम्पूर्ण खातेदारी आराजी का विवाद सुलझाने तथा खाते जो कि कम ज्यादा है को दुरूस्त करवाने का निवेदन कर चुका है।

11. यह कि अप्रार्थी संख्या 18 लगायत 22 द्वारा खसरा नम्बर 48 को जेडीए द्वारा करवाई गई 90ए की कार्यवाही का ज्ञान हाल ही में प्रार्थी को दिनांक 05/8/2024 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर को पढने के पश्चात हुआ तो प्रार्थी ने उक्त अप्रार्थी संख्या 18 लगायत 22 से उक्त बेजा कार्यवाही के संबंध में कार्यवाही करनी चाही तो उक्त अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी पर भडक गये तथा एलानियां धमकी दी हमने उक्त आराजी खसरा नम्बर 48 को जेडीए से अनुमोदित करवा लिया है और उक्त आराजी का विभाजन पूर्व में हो चुका है अब हमारे पास में जो अधिक भूमि है वो हम तुम्हें नहीं देगें और उक्त आराजी बाबत कोई समझोता एवं खाता दुरुस्ती नही करवायेगें और उक्त आराजी के पट्टे लेकर कॉलोनी विकसित करेगें, और अन्य जमीनो को भी बिना समझौता एवं रिकार्ड दुरुस्ती करवाये ही आवासीय कॉलोनी काटकर बेचेगें तुम्हें करना है सो कर लो।

12. यह कि वादकारण दिनांक 02/10/2024 को अप्रार्थीगण संख्या 19 लगायत 23 ने प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1102/49 पर आये और प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर जबरन कॉलोनी काटने की एलानिया धमकी दी, तथा प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते को बंद कर दिया, जिससे प्रार्थी को वादकारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि, ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर हाल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 35, 37, 38, 47, 48 खसरा नंबर के हाल खसरा नंबर 1102/48, 1103/48, 51, 52 (ख नं. 52 के हाल खसरा नंबर 1164/52, 1165/52, 1166/52, 1167/52), 104, 105, 106, 107, 108, 113, (29.6–48 के हाल 24 नं. 1102/48, 1103/48) 161, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178,191 कुल किता 26 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा में से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे और न ही उसके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करे और न ही उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति संस्था को बेचान रहन दान, वसीयत भार आदि नहीं करे और नही अपने नाम नामांतकरण खुलवाये, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे, तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 19, 20 व 21 की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र दुर्भावना से ग्रसित होकर अन्य अप्रार्थीगण के साथ मिलीभगत करते हुए अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 को हैरान और परेशान करने एवं उन्हें उनके मालिकाना स्वत्व, हित व अधिकार की भूमि आराजी खसरा नं. 48, 52 को हड़प कर उन्हें अपने सांपत्तिक अधिकारों से वंचित करने की गरज से बदनीयती पूर्वक नितान्त गलत, असत्य, मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त अभिवचन केवल मात्र वाद हेतुक उत्पन्न करने के आशय से नितांत झूठे, गलत, असत्य, आधारहीन एवं बनावटी बातों के आधार पर गलत ढंग से अंकित किए हैं, जबकि वास्तविक रूप से प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न ही नहीं होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानानुसार वाद कारण उसे कहते हैं जो किसी को वाद करने का अधिकार प्रदान करता हो अर्थात् प्रार्थी को प्राप्य प्रतिकार का अधिकार प्राप्त हो। किसी भी पक्षकार को अपने मालिकाना हक व अधिकार की संपत्ति के संबंध तब ही कोई अधिकार अथवा वाद कारण प्राप्त होता है, जब कथित कंटक के द्वारा उसको कोई क्षति कारित हो रही हो। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित संपूर्ण अभिवचनों के प्रथम दृष्टया अवलोकन मात्र से भी प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि प्रार्थी ने जिन खसरा नंबरान् 48 व 52 का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया है, उनसे प्रार्थी या अन्य अप्रार्थीगण का दूर दूर तक किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है और उक्त खसरा नंबरान की भूमि अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के पूर्वजों के समयकाल से उनके अधिकार व कब्जे में रही है, जिस पर उनका निर्बाध रूप से कब्जा विद्यमान रहा है। फलस्वरूप प्रार्थी का यह वाद व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों से परे होने कारण पोषणीय नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र के शीर्षक में वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का होना वर्णित किया है, जबकि प्रार्थी किसी अन्य पक्षकार अर्थात् अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के मालिकाना हक व अधिकार की संपत्ति, जिसका कई वर्षों पूर्व से उनके पूर्वजों के समयकाल से अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 का कब्जा चला आ रहा है, के संबंध में मिथ्या एवं नुमाईशी कथनों के आधार पर ऐसे किसी अनुतोष की मांग कर ही नहीं सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी व्यक्ति का किसी भी खसरा नंबर की भूमि से कोई संबंध व सरोकार ही नहीं है तो वह व्यक्ति उस भूमि, जो किसी अन्य के नाम है और जिस पर किसी अन्य का कब्जा व अधिकार है, के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद, क्लेम करते हुए उसके बाबत घोषणा, दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिकार न्यायालय से प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी ही नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद कलुजिव होने से पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। उक्त वाद में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के जिन खसरा नंबरान् 48 व 52 का उल्लेख किया है, उनसे प्रार्थी का दूर दूर तक कोई संबंध, सरोकार व लेनादेना नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नंबर 113 का उल्लेख किया है, उसके संबंध में पूर्व से ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक अन्य वाद संख्या 75 / 21 बउनवान बंशीधर बनाम कमलेश विचाराधीन है और उक्त वाद में प्रार्थी भी अप्रार्थी के रूप में पक्षकार है तथा प्रार्थी ने उक्त तथ्य को न्यायालय श्रीमान् से छिपाते हुए उक्त वाद नितान्त गलत एवं असंगत आधारों पर प्रस्तुत किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी विवादित भूमि के संबंध में एक ही विषयवस्तु के मल्टीपल वाद चल सकने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है और उसने अप्रार्थीगण के साथ मिलीभगत एवं सांठ गांठ करते हुए अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के मालिकाना हक व अधिकार की भूमि के खसरों का उल्लेख करते हुए जानबूझकर खसरा नंबर 113 के संबंध में लंबित प्रकरण को छिपाया है। इसलिए यह संपूर्ण वाद पक्षकारों के कुसंयोजन से दूषित है, बाधित है और बार्ड बाई लॉ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के पितामह श्री लक्ष्मीनारायण जी पुत्र [illegible] जी ने अपने जीवनकाल में जगदीश प्रसाद, मूलचन्द, तेजपाल पुत्रान् देवीलाल से दिनांक 23 [illegible] 20[illegible] को जरिये विनिमय पत्र के खसरा नंबर 48, 40, 44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर भूमि प्राप्त की गई थी और श्री लक्ष्मीनारायण जी द्वारा अपने मालिकाना हक व अधिकार की भूमि आराजी खसरा नंबर 105, 171, 172, 178, कुल किता 4 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर भूमि जगदीश प्रसाद, मूलचन्द, तेजपाल पुत्रान् देवीलाल को प्रदान करते हुए आपस में उक्त खसरा नंबरान् की भूमि की अदला बदली की गई थी और भूमि की अदला बदली बाबत निष्पादित विनिमय पत्र को दिनांक 11.01.

सहायक कलक्टर आमेर म., जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

2011 को उप पंजीयक, जयपुर तृतीय के कार्यालय में प्रस्तुत करके उसका पंजीयन करवाया गया। जिसके उपरांत खसरा नंबर 48, 40, 44 की भूमि के श्री लक्ष्मीनारायण जी एकमात्र मालिक, स्वामी व आधिपत्यधारी हुए और खसरा नंबर 105, 171, 172, 178 की भूमि के जगदीश प्रसाद, मूलचन्द, तेजपाल पुत्रान् देवीलाल एकमात्र मालिक, स्वामी व आधिपत्यधारी हुए। अपने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में यह तथ्य भी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के मालिकाना हक व अधिकार की भूमि के जिन खसरा नंबरान् 48 व 52 का उल्लेख किया है, उनमें से जरिये रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के प्राप्त हुए खसरा नंबर 48 के बाबत अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के पितामह श्री लक्ष्मीनारायण जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही एक उपहार पत्र दिनांक 15.03.2020 को निष्पादित करते हुए खसरा नंबर 48 की भूमि का आधा भाग अपने पौत्र मदन, श्रवण, सुरेश अर्थात अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21 को एवं आधा भाग पौत्र कमलेश व घनश्याम अर्थात् अप्रार्थी संख्या 22 व 23 को प्रदान कर दिया था, जिसके उपरांत अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 ने उपहार पत्र के जरिये प्राप्त हुई उक्त खसरा नंबर 48 की भूमि का नामांतरण अपने नाम खुलवा लिया, जिससे खसरा नंबर 48 दो भागों में खसरा नंबर 1102/48 व खसरा नंबर 1103/48 में विभक्त हो गया। इसके उपरांत अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 ने उक्त खसरा नंबर 1103/48 की भूमि का जे.डी.ए. से अपने नाम पट्टा प्राप्त कर लिया और खसरा नंबर 1102/48 की भूमि का अप्रार्थी संख्या 22 व 23 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण खुल गया। इसके अलावा प्रार्थी ने अपने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी प्रकट नहीं किया कि खसरा नंबर 52 की भूमि के संबंध में खातेदार लक्ष्मीनारायण जी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत व उपहार पत्र निष्पादित करते हुए उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 को प्रदान कर दी थी, जिसके बाबत नामांतरण की कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 ने राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया और खसरा नंबर 52 की भूमि खसरा नंबर 1164/52, 1165/52, 1166/52 एवं 1167/52 खसरा नंबरान् में विभक्त हो गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 काबिज है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने अपने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के मालिकाना हक व अधिकार की भूमि के साथ साथ अन्य सभी खसरा नंबरान् की भूमि के संबंध में वर्ष 1983 में दौराने सैटलमेन्ट, सैटलमेंट कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कुछ काश्तकारों के साथ मिलीभ्रमन करते हुए कुछ काश्तकारों को बेजा लाभ पहुंचाने [illegible] से लालचवश काश्तकारों को कम व ज्यादा भूमि देने संबंधी आरोप लगाते हुए [illegible] अंकित किए है, वह प्रथम दृष्टया अवलोकन मात्र से ही मिथ्या एवं बनावटी प्रतीत होते हैं। अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 का यहां यह स्पष्ट कथन है कि प्रथमतः [illegible] राज्य कर्मचारी अर्थात् सैटलमेंट अधिकारी / कर्मचारी पर ऐसे संगीन आरोप लगाने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है और द्वितीयतः उस समय यदि सैटलमेंट अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा कुछ काश्तकारों के साथ मिलीभगत करते हुए उन्हें बेजा लाभ पहुंचाने हेतु लालचवश कम व अधिक भूमि प्रदान कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surjan Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

गई थी, क्योंकर प्रार्थी व उसके पूर्वजों ने तत्समय ही इस बाबत अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई तथा सैटलमेंट कार्यवाही के लगभग 41 वर्ष के लम्बे समयकाल में प्रार्थी ने भी इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसी स्थिति में लगभग 41 वर्ष गुजर जाने के बाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त वाद टाईम बार्ड है और जिन खसरा नंबरान् 48 व 52 से प्रार्थी का दूर दूर तक कोई संबंध व सरोकार नहीं है, उनके संबंध में प्रार्थी किसी भी प्रकार का न्यायालय श्रीमान् से अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रथम दृष्टया अवलोकन मात्र से ही यह प्रकट एवं स्थापित होता है कि प्रार्थी ने जिन खसरा नंबरान का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में किया है, समय के साथ साथ उक्त सभी आराजीयात की बाजारू कीमत बढ़ गई है, जिससे प्रार्थी के मन में लालच व खोट उत्पन्न हो गया है और वह इसी कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के मालिकाना हक व अधिकार की भूमि को भी प्रार्थना पत्र में संयोजित करते हुए अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 को अपने स्वामित्व व हक की भूमि में निहित उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करने का प्रयास मात्र है, जिसका प्रार्थी को कानूनन कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि खसरा नंबर 48 व 52 की भूमि अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 के मालिकाना हक व अधिकार की भूमि है, जिस पर वे काबिज व आधिपत्यधारी हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित प्रारंभिक आपत्तियों एवं तथ्यों से यह बखूबी प्रमाणित है कि प्रार्थी उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है और उसने अन्य अप्रार्थीगण के साथ मिलीभगत करते हुए बड़ी चतुराई से खसरा नम्बर 48 व 52 की भूमि को अपने प्रार्थना पत्र में सम्मिलित करते हुए एवं अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 को नाहक ही पक्षकार के रूप में संयोजित करते हुए संपूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि के बाबत घोषणा, दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का उक्त वाद प्रस्तुत किया है. जिससे प्रार्थी का वाद पोषणीय नहीं है और इस बिनाह पर ही खारिज किए जाने योग्य है। अपनी उक्त प्रारंभिक आपत्तियों को बिना प्रिज्यूडिस किए अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 की ओर से मदवार जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 जिस प्रकार तहरीर की गई है, गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित मिथ्या, आधारहीन एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर सफलता मिलने की किंचित मात्र ही आशा नहीं करनी चाहिए।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के एक ही परिवार के सदस्य होने संबंधी कथन नितान्त मिथ्या एवं असत्य होने से अस्वीकार है तथा उक्त मद अंकित सजरा खानदान विवादित नहीं हैं। उक्त मद में प्रार्थी द्वारा अंकित किए गए सजरा खानदान से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का एक ही परिवार के सदस्य होना किसी भी प्रकार प्रकट, दर्शित एवं प्रमाणित नहीं हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के संबंध में रामनाथ, भूरा पुत्रान किशना का 1/2 हिस्सा मुताबिक खतौनी संवत् 2010 लगायत 2023 अंकित होने, रामनाथ की मृत्यु होने, रामनाथ के पुत्र देवीलाल की मृत्यु होने संबंधी कथन विवादित नहीं हैं

तथा शेष कथन जिस प्रकार वर्णित किए गए हैं, गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार हैं। उक्त मद में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 बद्रीनारायण को देवीलाल का वारीस होना बताया है, जबकि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थीगण के सजरा खानदान में प्रार्थी ने उक्त अप्रार्थी संख्या 1 ब्रदीनारायण को गोपी का पुत्र होना दर्शित कर रखा है। इतना ही नहीं प्रार्थी उक्त मद में वर्णितानुसार एक तरफ तो भूरा पुत्र किशना की मृत्यु के पश्चात् स्वयं को एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 को भूरा के वारिसान होना बता रहा है तथा दूसरी तरफ प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में अंकित सजरा खानदान में प्रार्थी स्वयं को गंगाबक्श का पुत्र/वारीस होना बता रहा है, जिससे यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि प्रार्थी आखिर किसका वारीस है, गंगाबक्श का या भूरा पुत्र किशनाराम का? फलस्वरूप उक्त मद में वर्णित कथनों से ही यह प्रकट एवं दर्शित होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद अन्य अप्रार्थीगण के साथ मिलीभगत करते हुए बिना पूर्ण जानकारी के हड़बड़ाहट में वास्तविक तथ्यों को न्यायालय श्रीमान् से छिपाते हुए प्रस्तुत किया है, जो पोषणीय नहीं होने से इस बिनाह पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में संवत् 2040 अर्थात् 1983 में सैटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरान् की भूमि के संबंध में सैटलमेंट कार्यवाही होने संबंधी कथन विवादित नहीं हैं तथा शेष कथन जिस प्रकार तहरीर किए गए हैं, गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 का यहां यह स्पष्ट कथन है कि प्रार्थी ने सैटलमेंट अधिकारी / कर्मचारियों पर कुछ काश्तकारों के साथ मिलीभगत करते हुए उन्हें बेजा लाभ पहुंचाने हेतु लालचवश कम व अधिक भूमि प्रदान कर देने संबंधी जो आरोप लगाये है, वह सरासर मिथ्या एवं आधारहीन होने से अस्वीकार हैं। यदि एक बार के लिए प्रार्थी के उक्त कथनों को सही मान भी लिया जाए तो क्योंकर प्रार्थी व उसके पूर्वजों ने तत्समय ही इस बाबत अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की और उसके पश्चात् भी सैटलमेंट कार्यवाही के लगभग 41 वर्ष के लम्बे समयकाल में प्रार्थी ने इस बाबत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। ऐसी स्थिति उक्त मद में वर्णित कथन स्वमेव ही गलत एवं असत्य साबित हो जाते हैं और उक्त गलत, मिथ्या, बनावटी एवं आधारहीन कथनों की आड़ में प्रार्थी किसी भी प्रकार का न्यायालय श्रीमान् से अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है।

5.1 यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5.1 में रामनाथ पुत्र किशना के खसरा नंबर 48 की भूमि के मालिक, स्वामि एवं खातेदार होने संबंधी कथन विवादित नहीं है, शेष वर्णित कथनों को प्रार्थी प्रबल साक्ष्य से सिद्ध करे।

5.2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5.2 में वर्णित कथनों को प्रार्थी प्रबल साक्ष्य से स्वयं सिद्ध करे।

5.3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5.3 में वर्णित कथनों को प्रार्थी प्रबल साक्ष्य से स्वयं सिद्ध करे।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

5.4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5.4 में वर्णित कथनों को प्रार्थी प्रबल साक्ष्य से स्वयं सिद्ध करे।

5.5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5.5 में वर्णित कथनों को प्रार्थी प्रबल साक्ष्य से स्वयं सिद्ध करे।

5.6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5.6 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 का यहां यह स्पष्ट कथन है कि प्रार्थी ने उक्त मद में जिन खसरा नंबर 37 व 38 का उल्लेख किया है, वह गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है, जो सभी के कॉमन उपयोग हेतु है तथा जिस खसरा नंबरा 113 का उल्लेख किया है, उसके संबंध में पूर्व से ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक वाद बउनवानी बंशीधर बनाम कमलेश विचाराधीन है। इसलिए एक ही खसरा नंबर 113 की भूमि के संबंध में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रकरण के लंबित रहते हुए उसी समान विषयवस्तु का अन्य वाद प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है, जिससे प्रार्थी न्यायालय श्रीमान् से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

5.7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5.7 में खसरा नंबर 52, खसरा नंबर 105, खसरा नंबर 171 एवं खसरा नंबर 172 लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपी के नाम होने एवं गोपी की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिसान ब्रदीनारायण, सूरजमल, लक्ष्मीनारायण होने संबंधी कथन विवादित नहीं हैं तथा शेष कथन जिस प्रकार वर्णित किए गए हैं, गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 का यहां यह स्पष्ट कथन है और यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथमतः तो अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के पूर्वज प्रपितामह गोपी की मृत्यु के उपरांत गोपी जी के विधिक वारिसों को ही उनकी छोड़ी गई संपत्तियों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय से घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकार है, प्रार्थी को नहीं, क्योंकि प्रार्थी ना तो गोपीराम जी का विधिक वारिस है, ना प्रार्थी को गोपीराम से किसी भी प्रकार का कोई संबंध है और ना ही प्रार्थी का गोपीराम जी की किसी भी संपत्ति में कानूनन कोई हक व अधिकार निहित है।

5.8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5.8 में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं, जिन्हें प्रार्थी प्रबल साक्ष्य से स्वयं सिद्ध करे।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित कथन नितान्त गलत, असत्य, बनावटी एवं आधारहीन होने से अस्वीकार हैं और उक्त आधारहीन एवं बनावटी कथनों के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित संपूर्ण आराजी खसरा नम्बरान की भूमि, जिनसे प्रार्थी का दूर दूर तक कोई संबंध व सरोकार नहीं है, के संबंध में किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने या न्यायालय श्रीमान् से कोई अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में कथन जिस प्रकार वर्णित किए गए हैं, नितान्त गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की सैटलमेंट अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई खातेदारी प्रदान नहीं की गई

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

है, ना गलत खसरा नंबर अंकित किए गए हैं और ना ही प्रार्थी द्वारा किसी भी आराजी खसरा नंबर की दुरुस्ती बाबत अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 से कभी भी कोई निवेदन किया गया है, तो अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 द्वारा टालमटोल किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 का यहां यह स्पष्ट कथन है कि उनके पितामह श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपीराम जी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ब्रदीनारायण के साथ किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नहीं की गई और ना ही आराजी खसरा नंबर 171, 172, 178 व 48 का जरिये विनिमय पत्र के विनिमय किया गया, क्योंकि उक्त खसरा नंबरान् से अप्रार्थी संख्या 1 ब्रदीनारायण का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार ही नहीं है। उक्त मद में प्रार्थी का यह कथन भी नितान्त गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है कि "उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति है।" प्रार्थना पत्र में वर्णित संपूर्ण आराजीयात में से खसरा नंबर 37, 38, 51, 108, 113 के अलावा किसी भी खसरा नंबर की भूमि में प्रार्थी का कोई स्वत्व, हित व अधिकार निहित नहीं है और ना ही उनसे प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार है तथा खसरा नंबर 48 की भूमि पर प्रार्थी का ना तो पूर्व में कोई हित, अधिकार व कब्जा विद्यमान था और ना ही वर्तमान में है, बल्कि खसरा नंबर 171, 172, 178, 48 पर वर्ष 2011 से पूर्व जगदीश प्रसाद, मूलचन्द, तेजपाल पुत्रान् देवीलाल का कब्जा विद्यमान था और अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 के पितामह श्री लक्ष्मीनारायण जी द्वारा जरिये विनिमय पत्र दिनांकित 04.01.2011 के खसरा नंबरान् का विनिमय किए जाने के उपरांत से खसरा नंबर 171, 172, 178, 48 पर पूर्व में तो श्री लक्ष्मीनारायण जी का और उनकी मृत्यु उपरांत अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 का आधिपत्य है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित समस्त कथन सरासर गलत, असत्य, बनावटी एवं मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। वास्तविक तथ्य यह हैं कि खसरा नंबर 48 के बाबत अप्रार्थी संख्या 18 लगायत 22 द्वारा जेडीए के समक्ष 90ए की कार्यवाही करवाये जाने की जानकारी प्रार्थी को प्रारंभ से ही रही है। अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 द्वारा एकराय होकर प्रार्थी को कभी भी कोई एलानिया धमकी किसी भी प्रकार की नहीं दी गई है और ना ही किसी प्रकार के कोई कथन प्रार्थी से किए गए हैं। फलस्वरूप उक्त मद में वर्णित संपूर्ण अभिवचन नितान्त मिथ्या, आधारहीन एवं बनावटी होने से अस्वीकार हैं।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित समस्त अभिवचन नितान्त गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। दिनांक 02.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 19 लगायत 23 द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि से उसे जबरन बेदखल करने या कॉलोनी काटने की एलानियां कोई धमकी नहीं दी गई, ना प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि में जाने जाने हेतु रास्ता बंद किया गया, जिससे प्रार्थी को कोई वादकारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त मद में वर्णित खसरा नंबर 1102/48 की भूमि में कभी भी प्रार्थी का कोई स्वत्व, हित व अधिकार निहित नहीं रहा है, बल्कि उक्त खसरा नंबर की भूमि तो अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 के पितामह श्री लक्ष्मीनारायण के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि थी, जो अप्रार्थी संख्या 22 व 23 को अपने पितामह श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा जरिये उपहार पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्राप्त हुई और उसके पश्चात् से अप्रार्थी संख्या 22 व 23 ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, जिससे प्रार्थी का दूर दूर तक कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में वर्णितानुसार प्रार्थी का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मजबूत प्रकरण एवं तुलनात्मक सुविधा का संतुलन प्राप्त नहीं है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 में वर्णित कथन गलत, असत्य एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा ऊपर के मदों में की गई विस्तृत जवाबदेही के प्रकाश प्रार्थी किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण को पाबंद करवाने या निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थी सं. 22 व 23 की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निम्न प्राथमिक आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई :–

प्राथमिक आपत्तियाँ :–

1. यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र दुर्भावना से ग्रसित होकर अन्य अप्रार्थीगण के साथ मिलीभगत करते हुए अप्रार्थी संख्या 22 व 23 को हैरान और परेशान करने एवं उन्हें उनके मालिकाना स्वत्व, हित व अधिकार की भूमि आराजी खसरा नं. 48, 52 को हड़प कर उन्हें अपने सांपत्तिक अधिकारों से वंचित करने की गरज से बदनीयती पूर्वक नितान्त गलत, असत्य, मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त अभिवचन केवल मात्र वाद हेतुक उत्पन्न करने के आशय से नितांत झूठे, गलत, असत्य, आधारहीन एवं बनावटी बातों के आधार पर गलत ढंग से अंकित किए हैं, जबकि वास्तविक रूप से प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न ही नहीं होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानानुसार वाद कारण उसे कहते हैं जो किसी पक्षकार को वाद करने का अधिकार प्रदान करता हो अर्थात् प्रार्थी को प्राप्य प्रतिकार का अधिकार प्राप्त हो। किसी भी पक्षकार को अपने मालिकाना हक व अधिकार की संपत्ति के संबंध तब ही कोई अधिकार अथवा वाद कारण प्राप्त होता है, जब कथित कंटक के द्वारा प्रार्थी को सारभूत क्षति कारित हो रही हो। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित संपूर्ण अभिवचनों के प्रथम दृष्टया अवलोकन मात्र से भी प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि प्रार्थी ने जिन खसरा नंबरान् 48 व 52 का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया है, उनसे प्रार्थी या अन्य अप्रार्थीगण का दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है और उक्त खसरा नंबरान की भूमि अप्रार्थी संख्या 22 व 23 के पूर्वजों के समयकाल से उनके अधिकार व कब्जा में रही है, जिस पर उनका निर्बाध रूप से कब्जा विद्यमान रहा है। फलस्वरूप प्रार्थी का यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से परे होने के कारण पोषणीय नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

3. यह कि प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र के शीर्षक में वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का होना वर्णित किया है, जबकि प्रार्थी किसी अन्य पक्षकार अर्थात् अप्रार्थी संख्या 22 व 23 के मालिकाना हक व अधिकार की संपत्ति, जिसका कई वर्षों पूर्व से उनके पूर्वजों के समयकाल से अप्रार्थी संख्या 22 व 23 का कब्जा चला आ रहा है, के संबंध में मिथ्या एवं नुमाईशी कथनों के आधार पर ऐसे किसी अनुतोष की मांग कर ही नहीं सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी व्यक्ति का किसी भी खसरा नंबर की भूमि से कोई संबंध व सरोकार ही नहीं है तो वह व्यक्ति उस भूमि, जो किसी अन्य के नाम है और जिस पर किसी अन्य का कब्जा व अधिकार है, के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद, क्लेम करते हुए उसके बाबत घोषणा, दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिकार न्यायालय से प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी ही नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद कलुजिव होने से पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

4. यह कि उक्त वाद में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 22 व 23 के जिन खसरा नंबरान् 48 व 52 का उल्लेख किया है, उनसे प्रार्थी का दूर दूर तक कोई संबंध, सरोकार व लेनादेना नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नंबर 113 का उल्लेख किया है, उसके संबंध में पूर्व से ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक अन्य वाद संख्या 75/21 बउनवान वंशीधर बनाम कमलेश विचाराधीन है और उक्त वाद में प्रार्थी भी अप्रार्थी के रूप में पक्षकार है तथा प्रार्थी ने उक्त तथ्य को न्यायालय श्रीमान् से छिपाते हुए उक्त वाद नितान्त गलत एवं असंगत आधारों पर प्रस्तुत किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी विवादित भूमि के संबंध में एक ही विषयवस्तु के मल्टीपल वाद चल सकने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है और उसने अप्रार्थीगण के साथ मिलीभगत एवं सांठ गांठ करते हुए अप्रार्थी संख्या 22 व 23 के मालिकाना हक व अधिकार की भूमि के खसरों का उल्लेख करते हुए जानबूझकर खसरा नंबर 113 के संबंध में लंबित प्रकरण को छिपाया है। इसलिए यह संपूर्ण वाद पक्षकारों के कुसंयोजन से दूषित है, बाधित है और बार्ड बाई लॉ है।

5. यह कि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 के पितामह श्री लक्ष्मीनारायण जी पुत्र गोपीराम जी द्वारा अपने जीवनकाल में जगदीश प्रसाद, मूलचन्द, तेजपाल पुत्रान् देवीलाल से दिनांक 23.12.2010 को जरिये विनिमय पत्र के खसरा नंबर 48, 40, 44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर भूमि प्राप्त की गई थी और श्री लक्ष्मीनारायण जी द्वारा अपने मालिकाना हक व अधिकार की भूमि आराजी [illegible] नंबर 105, 171, 172, 178, कुल किता 4 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर भूमि [illegible], तेजपाल पुत्रान् देवीलाल को प्रदान करते हुए आपस में उक्त खसरा [illegible] बदली की गई थी और भूमि की अदला बदली बाबत निष्पादित विनिमय पत्र को [illegible] नांक 11.01.2011 को उप पंजीयक, जयपुर तृतीय के कार्यालय में प्रस्तुत करके उसका पंजीयन करवाया गया। जिसके उपरांत खसरा नंबर 48, 40, 44 की भूमि के श्री लक्ष्मीनारायण जी एकमात्र मालिक, स्वामी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर न. जयपुर

आधिपत्यधारी हुए और खसरा नंबर 105, 171, 172, 178 की भूमि के जगदीश प्रसाद, मूलचन्द, तेजपाल पुत्रान् देवीलाल एकमात्र मालिक, स्वामी व आधिपत्यधारी हुए।

6. यह कि अपने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में यह तथ्य भी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 22 व 23 के मालिकाना हक व अधिकार की भूमि के जिन खसरा नंबरान् 48 व 52 का उल्लेख किया है, उनमें से जरिये रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के प्राप्त हुए खसरा नंबर 48 के बाबत अप्रार्थी संख्या 22 व 23 के पितामह श्री लक्ष्मीनारायण जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही एक उपहार पत्र दिनांक 15.03.2020 को निष्पादित करते हुए खसरा नंबर 48 की भूमि का आधा भाग अपने पौत्र मदन, श्रवण, सुरेश अर्थात् अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21 को एवं आधा भाग पौत्र कमलेश व घनश्याम अर्थात् अप्रार्थी संख्या 22 व 23 को प्रदान कर दिया था, जिसके उपरांत अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 ने उपहार पत्र के जरिये प्राप्त हुई उक्त खसरा नंबर 48 की भूमि का नामांतरण अपने नाम खुलवा लिया, जिससे खसरा नंबर 48 दो भागों में खसरा नंबर 1102/48 व खसरा नंबर 1103/48 में विभक्त हो गया। इसके उपरांत अप्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 ने उक्त खसरा नंबर 1103/48 की भूमि का जे.डी.ए. से अपने नाम पट्टा प्राप्त कर लिया और खसरा नंबर 1102/48 की भूमि का अप्रार्थी संख्या 22 व 23 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण खुल गया।

7. यह कि इसके अलावा प्रार्थी ने अपने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी प्रकट नहीं किया कि खसरा नंबर 52 की भूमि के संबंध में खातेदार लक्ष्मीनारायण जी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत व उपहार पत्र निष्पादित करते हुए उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 को प्रदान कर दी थी, जिसके बाबत नामांतरण की कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 ने राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया और खसरा नंबर 52 की भूमि खसरा नंबर 1164/52, 1165/52, 1166/52 एवं 1167/52 खसरा नंबरान् में विभक्त हो गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21, 22 व 23 काबिज है।

अपनी उक्त प्रारंभिक आपत्तियों को बिना प्रिज्यूडिस किए अप्रार्थी संख्या 22 व 23 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिन्होने उन्ही तथ्यो का दौहराया जो अप्रार्थी 19, 20, 21 ने किया है।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 14 (रामनारायण पुत्र स्व. श्री सूरजमल) ने लिखित बहस पेश किः—

1. उपरोक्त वर्णित राजस्व वाद संख्या/मुकदमा संख्या 76/2024 उनवान लल्लूराम बनाम बद्रीनारायण वगै. में प्रतिवादी संख्या 14 रामनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री सूरजमल शर्मा का मेरा / हमारा पैतृक ग्राम बेनाड़ा पटवार हल्का नांगलसिरस, भू०अ०नि०क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

2. महोदय, यह है कि प्रतिवादी संख्या 14 रामनारायण पुत्र सुरजमल जयपुर में हाल निवास करता है। उक्त प्रकरण / राजस्व वाद संख्या 76/2024 के वारे मा० न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/नोटिस प्रतिवादी को मेरे चाचाजी के विधिक उत्ताधिकारियों के जरिये मुझे प्राप्त हुये है। उक्त प्रकरण के वारे में मेरे परिजनों द्वारा वाद में वर्णित विन्दुओं के वारे में मेरे उक्त परिजनों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है।

3. महोदय, उपरोक्त राजस्व वाद संख्या 76/2024 में दर्शाये गये वादी एवं प्रतिवादी (1 से 27) हम् एक ही कुल/परिवार के सदस्य है।

4. महोदय, उपरोक्त राजस्व वाद संख्या 76/2024 में वादी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के द्वारा कुल किता 26 कुल रकया 55 बीघा 17 विस्वा के पारिवारिक बटवारे के संबंध में मा० न्यायालय को तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

5. महोदय, उपरोक्त राजस्व वाद संख्या 76/2024 के संबंध में वादी द्वारा मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विन्दु संख्या/मद संख्या 4 के उप–विन्दु 7 में वर्णित अनुसार श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपीराम को दौराने सेटलमेन्ट कार्यवाही खसरा परिशोधन पत्र द्वारा किये गये विभाजन अनुसार हाल / वर्तमान खसरा नम्वरान यथा (1) खसरा नम्वर 52 रकवा 0.86 हेक्टेयर, (2) खसरा नम्बर 105 रकवा 0.33 हेक्टेयर, (3) खसरा नम्वर 171 रकवा 0.45 हेक्टेयर, (4) खसरा नम्बर 172 रकवा 0.38 हेक्टेयर एवं (5) खसरा नम्वर 178 रकवा 0.45 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकवा 2.47 हेक्टेयर दी गई थी। उक्त खसरों में गोपीराम पुत्र मानाराम 1/4 भाग का रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार था। गोपी के मृत्यु के बाद विधिक वारिसान सुरजमल, बद्रीनारायण एवं लक्ष्मीनारायण थे तथा उक्त आराजी का विभाजन पत्र तैयार करते समय जीवित अवस्था में थे। किन्तु उपरोक्त वर्णित 5/ पाँच खसरों कुल रकबा 2. 47 के सम्पूर्ण हिस्से को लक्ष्मीनारायण के हिस्से में सेटलमेन्ट कर्मचारी / अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज व बिना सहमति पत्र के सुरजमल एवं बद्रीनारायण के हिस्से की खातेदारी समाप्त कर दी गई।

6. महोदय, मा० न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान यथा (1) खसरा नम्बर 52 रकबा 0.86 हेक्टेयर, (2) खसरा नम्बर 105 रकबा 0.33 हेक्टेयर, (3) खसरा नम्बर 171 रकवा 0.45 हेक्टेयर, (4) खसरा नम्बर 172 रकवा 0.38 हेक्टेयर एवं (5) खसरा नम्बर 178 रकबा 0. 45 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.47 हेक्टेयर के क्रम में प्रतिवादी संख्या 11 के तौर पर मेरा स्वयं का बयान यह है कि उक्त खसरों में मेरे पिता श्री सुरजमल जी के 1/12 हिस्से भाग के हिस्से बटां में से मुझे मिलने वाली जमीन/मिलने वाले विधिक हिस्सा बटवारा यदि मेरे छोटे चाचाजी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण के नाम से उस समय दर्ज हो गया तो उक्त खसरों में (मेरे पिता के हिस्से में से 1/2 के हकदार मैं) कोई आपत्ति नही है। उपरोक्तानुसार जैसा कि मेरे स्व. चाचाजी द्वारा कृषि करके जीवनयापन किया गया था, अतः मेरे स्व. चाचा लक्ष्मीनारायण एवं उनके विधिक उत्ताराधिकारियों द्वारा उक्त खसरों 5 खसरों में यदि काश्त / रहननामा / कनवर्जन / विनिमय / बेचान आदि किया गया अथवा भविष्य में किया जावेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
आमेर प्र॰, जयपुर

तो प्रतिवादी संख्या 14 रामनारायण पुत्र सुरजमल को उसके बनने वाले विधिक अधिकार के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। मेरा यह सहमति बयान अथवा अनापत्ति बयान केवल ओर केवल उक्त पॉच खसरों यथा 52, 105, 171, 172 एवं 178 कुल 2.47 हेक्टेयर जो कि उक्त पारिवारिक बटवारां में मेरे चाचाजी को दे दिये गये थे, इसके संबंध में ही मान्य माना जावें तथा रिकोर्ड में प्रस्तुत माना जावें। उक्त वर्णित पॉच खसरें 52, 105, 171, 172 एवं 178 रकबा 2.47 हेक्टेयर जो कि मेरे चाचा लक्ष्मीनारायण को दे दिये गये थे, उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी खसरों में मेरा यह बयान किसी भी प्रकार से नहीं दिया जा रहा है तथा लागू नहीं होगा / मान्य नहीं माना जावें।

7. महोद्रय, उक्त वर्णित पॉच खसरों यथा 52, 105, 171, 172 एवं 178 कुल 2.47 हेक्टेयर के अतिरिक्त इस राजस्व वाद प्रकरण 76/2024 में वर्णित में अन्य कुल 21 खसरों में यदि मेरे दादा गोपीराम पुत्र माना के विधिक उत्ताराधिकारियों को एवं मेरे पिताजी को कम जमीन / हिस्सा मिला था तो बनने वाले शेष हिस्से में से एवं उक्तवाद 76/2024 में वर्णित खसरों के अलावा भी ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा में हमारी पैतृक जमीनों में मेरे पिताजी स्व. श्री सूरजमल पुत्र गोपीराम के पेरेन्टेल राईटस् में, गोपीराम की मृत्यु के बाद / फौतहोने के बाद मेरे पिताजी मिलने वाली / बनने वाले विधिक सूरजमल अधिकार / पेरेन्टेलराईटस्/ हिस्से में मेरे पिता सुरजमल पुत्र गोपी के हिस्से में आने वाले वाली किसी भी अन्य जमीन / खसरा नम्बरान अथवा हिस्साबटां में से मुझे प्रतिवादी संख्या 14 रामनारायण पुत्र सुरजमल को मिलने वाली पैतृक जमीनों / मेरे बनने वाले विधिक हिस्से/पेरेन्टल राईटस के संबंध में मेरा विधिक अधिकार सुरक्षित रहेगा। यथा राजस्ववाद संख्या 76/2024 में वर्णित पॉच श्री को
खसरों यथा 52, 105, 171, 172 एवं 178 कुल 2.47 हेक्टेयर के अतिरिक्त मेरे दादाजी गोपीराम पुत्र मानाराम के जरिये मेरे पिताजी सुरजमल पुत्र गोपी के जरिये ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा में मुझे प्रतिवादी संख्या 14 रामनारायण पुत्र सुरजमल को मिलने वाली पैतृक जमीन / हिस्साबटां में मेरे विधिक अधिकार / पेरेन्टलराईटस् सुरक्षित रहेंगे/सुरक्षित माना जावें। इसमें मैं मेरे बनने वाले विधिक राईटस/पेरेन्टल राईटस में किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं रहूँगा।

8. महोदय, निवेदन है कि उक्त राजस्व वाद संख्या 76/2024 में श्रीलल्लूराम शर्मा स्व. श्रीरामानन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या/मद संख्या 4 के उप–बिन्दु 3 में वर्णित अनुसार अनुसार बिन्दु संख्या/मद संख्या, 3 के क्रम में नाथूलाल, श्यामलाल, राधेश्याम, नानूलाल पिता जगन्नाथ को दी गई खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 168 रकबा 0.72 हेक्टेयर भूमि वाद पत्र के बिन्दु संख्या/मद संख्या 1 में वर्णित कुल खसरा 26 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा में वर्णित खसरों में नाथूलाल, श्यामलाल, राधेश्याम, नानूलाल पिता जगन्नाथ का कोई हिस्सा नहीं था फिर भी सेटलमेन्ट कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त खातेदारी उक्त परिजनों को दे दी थी। इसमें प्रस्तुत भूमिवाद प्रार्थना पत्र अनुसार ही मेरे दादाजी गोपीराम के 1/4 हिस्से में से मेरेपिताजी का बनने वाला हिस्सा 1/3 को सुरक्षित रखा जावें तथा मा0 न्यायालय द्वारा विधिसम्मत जॉच एवं कार्यवाही फरवाकर मेरे

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

पिताजी स्व. श्रीसुरजमल के विधिक वारिसान प्रतिवादी-14 रामनारायण पुत्र सुरजमल एवं वगैरह का विधिक अधिकार / हिस्साबटां भी सुरक्षित रखा जावें।

9. महोदय, निवेदन है कि उक्त राजस्ववाद संख्या 76/2024 के क्रम में वादी श्री लल्लूराम पुत्र स्व. श्रीरामानन्द द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वयं यह माना है कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों/अधिकारियों को यह अधिकार नहीं था कि वह बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश अथवा बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के किसी काश्तकार की भूमिबट को/हिस्साबटां को कम-ज्यादा कर सकें अथवा भूमि की अदलाबदली कर अन्य खातेदारों के भूमि नाम इन्द्राज कर सकें।

10. बिन्दु 9 के क्रम में लगातार, तो इसमें मेरा पक्ष एवं निवेदन एवं बयान है कि माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर जिला जयपुर के ही समक्ष लम्बित प्रकरणवाद संख्या 15/2021 का कृपया अवलोकन करावा जावें जिसमें श्रीलल्लूराम एवं अन्य ने कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 117, 123 जिसके हाल खसरा नम्बर 169 एवं 176 रकबा क्रमशः 0.91 हेक्टेयर एवं 0.55 हेक्टेयर भूमि के बदले में बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश एवं बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 491 जिसके हाल खसरा नम्बर 379, 380, 381, 382 कुल किता 4 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा अथवा 2.82 हेक्टेयर भूमि केवल ओर केवल खसरा परिशोधनपत्र के द्वारा श्रीरामपुत्र बिरदाराम से प्राप्त कर ली। जबकि उक्त 76/2024 भूमिवाद प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या/मद संख्या 1 में वर्णितकुल 26 खसरानम्बरान में श्रीरामपुत्र बिरदाराम का कोई हिस्सा नहीं था।

11. बिन्दु 10 के क्रम में लगातार, इस प्रकार माननीय न्यायालय से आग्रह है कि वादी श्रीलल्लूराम शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ही प्रतिवादी संख्या 14 रामनारायण पुत्र सुरजमल का खसरानम्बर 169 एवं 176 में विधिक अधिकार सुरक्षित माना जावें। जिन खसरों का उल्लेख स्वयंवादी ने भूमिवाद प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या/मद संख्या 1 में प्रस्तुत किया है।

12. अतः माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 11 अनुसार मेरा बयान एवं पक्ष, मेरी राजीखुशी एवं स्वविवेक से प्रस्तुत है।

अप्रार्थी संख्या संख्या 2 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होने से स्वीकार है। [illegible] खसरा नं 35, 37, 38, 47, 48, 51, 52, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 161, [illegible], 168, 169, 170 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178 कुल किता 25 [illegible] पर कुल किता 26 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा है। जो सही है। प्रार्थना [illegible] में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है, आंशिक रूप [illegible] स्पष्ट करना आवश्यक है कि रामनाथ की मृत्यु के पश्चात् रामनाथ के एक पुत्र देवीलाल हुआ तथा देवीलाल की मृत्यु होने के पश्चात् देवीलाल के वारिसान के रूप में तेजपाल, मूलचंद व जगदीश हुये जो उक्त प्रार्थना मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 है। 5. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होने से स्वीकार है।

5.(क) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 01 में वर्णित कथन जिस प्रकार तकमील किये गये है, सही होने से स्वीकार है, केवल मात्र अप्रार्थी गण संख्या 1 लगायत 3 होने के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 होना सही है।

5. (ख) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 02 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है आंशिक रूप से सही होना स्वीकार है। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि भूराराम पुत्र किशना के वारिसान उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी गण संख्या 5 लगायत 9 व 11 अंकित है शेष कथन सही होने से स्वीकार है।

5. (ग) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 03 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है पूर्णतया सही होना स्वीकार है।

5. (घ) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 04 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही अंकित होने से स्वीकार है।

5.(च) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 05 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होने से स्वीकार है किन्तु उक्त कथन रामानन्द पुत्र गंगाबकक्श का 1/8 निहित होना तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 12 के नाम खातेदारी मे दर्ज व इन्द्राज होने के स्थान पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 12 के नाम खातेदारी में दर्ज व इन्द्राज होना सही है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

5. (छ) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 06 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है आंशिक रूप से स्वीकार है। यहां पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त मद में वर्णित कथन विभाजन पत्र तैयार करते समय सेंटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा बेजा लाभ अर्जित करने की गरज से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 के की जमाबंदी में उक्त नंबरों का अंकन हिस्से अनुसार दर्ज नही किया के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का अंकन होना सही है, शेष कथन सही होने से स्वीकार है।

5. (ज) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 07 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है पूर्णतया सही होने से स्वीकार है।

5. (झ) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 08 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होना स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को उनके हिस्से अनुसार भूमि 1/4 भाग नही दी गई। जबकि उक्त प्रार्थना मे प्रार्थना ग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड खतौनी संवत् 2010 लगायत 2023 एव संवत् 2040 में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का राजस्व रिकार्ड अनुसार 1/4 हिस्सा दर्ज एवं अंकित है और उसी के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

लगायत 4 का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है शेष कथन अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 को 1/4 होना उक्त प्रार्थना पत्र की उक्त मद में गलत दर्ज किया गया है जिसके दुरूस्त करने भार प्रार्थी पर है। शेष कथन सही होने से स्वीकार है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है कि सही अंकित किये जाने से स्वीकार है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त प्रार्थना ग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी गणों की शामलाती आराजी रही है। जिसका विभाजन दौराने सेंटलमेंट खसरा परिशोधन के द्वारा हुआ है। उक्त विभाजन मौजूदा काश्तकारों के मध्य राजस्व कर्मचारियों के समक्ष किया गया था। चूंकि ग्रामीण परिवेश में खातेदार—काश्तकार अनपढ व पेशेवर काश्तकार व्यक्ति थे। जो कानून अथवा राजस्व रिकार्ड के बारे में नही समझते थे और राजस्व कर्मचारियों ने इसका नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकारो को नही देकर अन्य व्यक्तियों को विभाजित कर दी अथवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से को कम अथव अधिक कर दिया। ऐसा करने का राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही था तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तदसमय किया गया कार्य एवं उपरोक्त आराजी को कम या अधिक गैर कानूनी रूप से किया है। जो सही अंकित होने से स्वीकार है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है कि खसरा नं 48 में भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 भी हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्य प्रार्थना डिकी किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 भी उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित होंगे। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी पर यदि अवैध कालोनी काटी जाती है अथव किसी भी प्रकार से बेचान हस्तांतरण किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के हक व अधिकार प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किया गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने—जाने हेतु प्रार्थी के साथ—साथ उक्त अप्रार्थी गण को भी रास्ते में आने—जाने से बंद कर दिया गया। जो सही होने से स्वीकार है। शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किया गया है जवाब का मोहताज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumiah Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या संख्या 5 लगायत [illegible] की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि :—

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत होने से अस्वीकार है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होने से स्वीकार है। केवल मात्र हाल खसरा नं 35, 37, 38, 47, 48, 51, 52, 104, 105,

सहायक कलक्टर आमेर नं. जयपुर

106, 107, 108, 113, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178 कुल किता 25 अंकित हैं जिसके स्थान पर कुल किता 26 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा है। जो सही है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सजरा खानदान होना स्वीकार है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है, आंशिक रूप से स्वीकार है। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि रामनाथ की मृत्यु के पश्चात् रामनाथ के एक पुत्र देवीलाल हुआ तथा देवीलाल की मृत्यु होने के पश्चात् देवीलाल के वारिसान के रूप में तेजपाल, मूलचंद व जगदीश हुये जो उक्त प्रार्थना मे अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 है तथा भूरा पुत्र किशना की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनके वारिसानों में अप्रार्थी गण संख्या 5 लगायत 9 व 11 है। जो उक्त प्रार्थना में संयोजित है तथा उक्त कमानुसार सही है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होने से स्वीकार है।

5.(क) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 01 में वर्णित कथन जिस प्रकार तकमील किये गये है, सही होने से स्वीकार है, केवल मात्र अप्रार्थी गण संख्या 1 लगायत 3 होने के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 होना सही है।

5. (ख) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 02 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है आंशिक रूप से सही होना स्वीकार है। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि भूराराम पुत्र किशना के वारिसान उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी गण संख्या 5 लगायत 9 व 11 अंकित है शेष कथन सही होने से स्वीकार है।

5. (ग) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 03 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है पूर्णतया सही होना स्वीकार है।

5. (घ) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 04 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही अंकित होने से स्वीकार है।

5.(च) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 05 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होने से स्वीकार है किन्तु उक्त कथन रामानन्द पुत्र गंगाबकक्श का 1/8 निहित होना तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् राजस्व में उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 12 के नाम खातेदारी मे दर्ज व इन्द्राज होने के स्थान पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 12 के नाम खातेदारी में दर्ज व इन्द्राज होना सही है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

5. (छ) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 06 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है आंशिक रूप से स्वीकार है। यहां पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त मद में वर्णित कथन विभाजन पत्र तैयार करते समय सेंटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों

सहायक कलक्टर आमेर नं. जयपुर

के द्वारा बेजा लाभ अर्जित करने की गरज से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगातय 8 की जमाबंदी में उक्त नंबरों का अंकन हिस्से अनुसार दर्ज नही किया के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 5 लगातय 9 11 का अंकन होना सही है, शेष कथन सही होने से स्वीकार है।

5. (ज) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 07 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है पूर्णतया सही होने से स्वीकार है।

5. (झ) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 08 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होना स्वीकार है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 व 11 को उनके हिस्से अनुसार भूमि 1/4 भाग नहीं दी गई। जबकि उक्त प्रार्थना मे प्रार्थना ग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड खतौनी संवत् 2010 लगायत 2023 एव संवत् 2040 में अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 व 10 का राजस्व रिकार्ड अनुसार 1/4 हिस्सा दर्ज एवं अंकित है और उसी के अनुसार अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 व 11 का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है शेष कथन अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 को 1/4 होना उक्त प्रार्थना पत्र की उक्त मद में गलत दर्ज किया गया है जिसके दुरूस्त करने भार प्रार्थी पर है। शेष कथन सही होने से स्वीकार है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है कि सही अंकित किये जाने से स्वीकार है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त प्रार्थना ग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी गणों की शामलाती आराजी रही है। जिसका विभाजन दौराने सेंटलमेंट खसरा परिशोधन के द्वारा हुआ है। उक्त विभाजन मौजूदा काश्तकारों के मध्य राजस्व कर्मचारियों के समक्ष किया गया था। चूंकि ग्रामीण परिवेश में खातेदार–काश्तकार अनपढ व पेशेवर काश्तकार व्यक्ति थे। जो कानून अथवा राजस्व रिकार्ड के बारे में नही समझते थे और राजस्व कर्मचारियों ने इसका नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकारो को नही देकर अन्य व्यक्तियों को विभाजित कर दी अथवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से को कम अथव अधिक कर दिया। ऐसा करने का राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही था तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तदसमय किया गया कार्य एवं उपरोक्त आराजी को कम या अधिक गैर कानूनी रूप से किया है। जो सही अंकित होने से स्वीकार है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है कि खसरा नं. 48 में भी अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 एवं 11 भी हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना डिकी किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 एवं 11 भी उक्त आराजी के खातेदार–काश्तकार घोषित होंगे। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी पर यदि अवैध कालोनी काटी जाती है अथव किसी भी प्रकार से बेचान हस्तांतरण किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर न. जयपुर

लगायत 9 एवं 11 के हक व अधिकार प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किया गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने–जाने हेतु प्रार्थी के साथ–साथ उक्त अप्रार्थी गण को भी रास्ते में आने–जाने से बंद कर दिया गया। जो सही होने से स्वीकार है। शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

अप्रार्थीगण संख्या 10, 12, 13 की ओर से उक्त उनवानी जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि :–

1. यह कि़ प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित तथ्य प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा में अवश्य प्रस्तुत किया है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र सर्वथा मिथ्या, निराधार, अनुचित, गैर कानूनी तथ्यों पर आधारित होनें से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जानें योग्य है जिसमें प्रार्थी को कत्तई सफलता नहीं मिल सकती। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में सफलता की आशा रखना निरर्थक एंव व्यर्थ हैं, और केवल मात्र मृत तृष्णा है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होने से स्वीकार है। केवल मात्र हाल खसरा नं 35, 37, 38, 47, 48, 51, 52, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 161, 166, 167, 168, 169, 170 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178 कुल किता 25 अंकित हैं जिसके स्थान पर कुल किता 26 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा है। जो सही है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सजरा खानदान होना स्वीकार है।

4. यह कि़ प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है, आंशिक रूप से स्वीकार है। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि रामनाथ की मृत्यु के पश्चात रामनाथ के एक पुत्र देवीलाल हुआ तथा देवीलाल की मृत्यु होने के पश्चात् देवीलाल के वारिसान के रूप में तेजपाल, मूलचंद व जगदीश हुये जो उक्त वाद मे अपार्थी संख्या 2 लगायत 4 है तथा भूरा पुत्र किशना की मत्य हो जाने के पचात उनके वारिसानों में अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 9 व 11 है, तथा प्राथी व उत्तरदाता गंगाबक्श के वारिस हैं। जो उक्त वाद में संयोजित है तथा उक्त कथनुसार सही है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होने से स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

5. (क) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 01 में वर्णित कथन जिस प्रकार तकमील किये गये है, सही होने से स्वीकार है, केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 होने के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 होना सही है।

5. (ख) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 02 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है आंशिक रूप से सही होना स्वीकार है। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि

बुधराम पुत्र किशना के वारिसान उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 9 व 11 अंकित है एवं रामनाथ पुत्र किशना के वारिसान उक्त प्रार्थना पत्र में 02 लगायत 4 होना सही है। शेष कथन सही होने से स्वीकार है।

5. (ग) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 03 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है पूर्णतया सही होना स्वीकार है।

5. (घ) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 04 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही अंकित होने से स्वीकार है।

5.(च) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 05 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होने से स्वीकार है किन्तु उक्त कथन रामानन्द पुत्र गंगाबकक्श का 1/8 निहित होना तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 12 के नाम खातेदारी मे दर्ज व इन्द्राज होने के स्थान पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 12 के नाम खातेदारी में दर्ज व इन्द्राज होना सही है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

5. (छ) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 06 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है आंशिक रूप से स्वीकार है। यहां पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त मद में वर्णित कथन विभाजन पत्र तैयार करते समय सेंटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा बेजा लाभ अर्जित करने की गरज से प्रार्थी एवं मिन उत्तरदाता की जमाबंदी में उक्त नंबरों का अंकन हिस्से अनुसार दर्ज नही किया के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 व 11 का अंकन एवं मिन उत्तरदाता का अंकन होना सही है, शेष कथन सही होने से स्वीकार है।

5. (ज) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 07 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है पूर्णतया सही होने से स्वीकार है।

5. (झ) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 का बिन्दु संख्या 08 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है सही होना स्वीकार है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है कि मिन उत्तरदाता को उनके हिस्से अनुसार भूमि 1/4 भाग नही दी गई। जबकि उक्त वाद मे वाद ग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड खतौनी संवत् 2010 लगायत 2023 एव संवत् 2040 में मिन उत्तरदाता का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा दर्ज एवं अंकित है और उसी के अनुसार मिन उत्तरदाता का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है शेष कथन मिन उत्तरदाता का हिस्सा होना उक्त प्रार्थना पत्र की उक्त मद में गलत दर्ज किया गया है जिसके साबित करने भार प्रार्थी पर है। शेष कथन सही होने से स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है कि सही अंकित किये जाने से स्वीकार है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी गणों की

शामलाती आराजी रही है। जिसका विभाजन दौराने सेंटलमेंट खसरा परिशोधन के द्वारा हुआ है। उक्त विभाजन मौजूदा काश्तकारों के मध्य राजस्व कर्मचारियों के समक्ष किया गया था। चूंकि ग्रामीण परिवेश में खातेदार–काश्तकार अनपढ व पेशेवर काश्तकार व्यक्ति थे। जो कानून अथवा राजस्व रिकार्ड के बारे में नही समझते थे और राजस्व कर्मचारियों ने इसका नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकारो को नही देकर अन्य व्यक्तियों को विभाजित कर दी अथवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से को कम अथव अधिक कर दिया। ऐसा करने का राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही था तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तदसमय किया गया कार्य एवं उपरोक्त आराजी को कम या अधिक गैर कानूनी रूप से किया है। जो सही अंकित होने से स्वीकार है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किये गये है उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है कि खसरा नं 48 में भी मिन उत्तरदाता भी हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्य वाद डिकी किया जाता है तो मिन उत्तरदाता भी उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित होंगे। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी पर यदि अवैध कालोनी काटी जाती है अथवा किसी भी प्रकार से बेचान हस्तांतरण किया जाता है तो मिन उत्तरदाता के हक व अधिकार प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तकमील किया गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने–जाने हेतु प्रार्थी के साथ–साथ उक्त अप्रार्थी गण को भी रास्ते में आने जाने से बंद कर दिया गया। जो सही होने से स्वीकार है। शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

अप्रार्थी संख्या 24 से 27 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि :–1. यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 1 जिस प्रकार से वर्णित किया है वाद पेश करना स्वीकार है लेकिन प्रार्थना पत्र में सफलता मिलने की मात्र कोरी कल्पना मात्र है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद सख्या 2 जिस प्रकार से वर्णित किया है कि वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर हाल रामपुराडाबडी जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 28, 23, 24, 38, 83, 103, 117, 118, [illegible] किता 11 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 35, 37, 38, [illegible] 48, [illegible] 52, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 17[illegible] 175, 176, 177, 178, 191, कुल किता 26 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा [illegible] उत्तरदातागण अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है शेष कथन प्रार्थी स्वयं साबित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित सजराखानदान अपूर्ण दर्ज किये जाने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज खडका राम जी थे जिनके दो पुत्र जीवणराम व कारानाम थे तथा मानीवणराम के तीन पुत्र रामचन्द्र मानाराम व किशनाराम थे। तथा ह/8/2)

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

कानाराम ने किशनाराम को गोद ले रखा था। जीवणराम के तीन पुत्रो में रामचन्द्र के परिवार के सजरा को दर्शित नहीं किया हुआ है। जबकि रामचन्द्र के एक दो पुत्र पोल्या व मांग्या उर्फ मांगीलाल हुये जिनमें मांग्या उर्फ मांगीलाल के नाओलाद फौत होने पर उसके उत्तराधिकारी उत्तरदातागण के पिता जगन्नाथ हुये व जगन्नाथ के चार पुत्र उत्तरदातागण है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 4 में वर्णित सजराखानदान से सम्बंधित है लेकिन वाद में वर्णित सजरा खानदान अपूर्ण अंकित किया है। सही सजरा खानदान जवाब प्रार्थना पत्र की मद सख्या 3 में अंकित है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद सख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित किया है गलत होने से अस्वीकार है सैटमेन्ट कर्मचारियो सैटमेन्ट के समय खसरा परिशोधन पत्र के द्वारा सम्वत 2040 अर्थात 1983 में जो कार्यवाही की गई वह सैटमेन्ट के समय ही की गई कार्यवाही है जो कि वैध व मान्य कार्यवाही थी सैटमेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही व निर्णय अन्तिम हो चुका है एवं सैटलमेन्ट की कार्यवाही दिनांक 06–02–1985 में सहमति के पर्चा खतौनी पर वादी द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे एवं उस समय मे सरपंच छीतरमल जैन द्वारा भी सैटलमेन्ट की कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये थे तथा वादी द्वारा भी सैटलमेंट की कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये थे तथा वादी द्वारा भी साक्ष्य व सहमति में हस्ताक्षर कर रखे है वादी एक पढा लिखा व सेवानिवृत अध्यापक है जिसको सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी है इसलिये उसे 1983 लगभग 43 साल बाद चुनौती देने का अधिकार नही है। इसलिये उक्त मद के उप मद गलत होने से अस्वीकार है। परन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि सैटमेन्ट के समय हुई कार्यवाही के समय प्रार्थी व अप्रार्थीगण स्वय व उनके पूर्वजो की उपस्थिति में हुई जो भारतीय साक्ष्य 1872 की धारा 115 के तहत एस्टोप्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 एस्टोप्ल के सिद्वान्त को संहिताबद्ध करती है कि जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य या लोप द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सत्य मानने एवं ऐसे विश्वास पर कार्य करने के लिये जानबुझकर प्रेरित किया है या अनुमति दी है तो न तो उसे ना ही उसके प्रतिनिधी को, उसके ओर ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधी के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात की सच्वाई से इन्कार करने की अनुमति नही दी जायेगी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जानबुझकर किसी दुसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि कोई बात सच है ओर वह व्यक्ति उस विश्वास के अनुसार काम करता है तो पहला व्यक्ति उस बात की सचाई से इन्कार नही कर सकता ऐसा इसलिये है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में [illegible] को स्वीकार व अस्वीकार दोनो नही कर सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा [illegible] खतौनी में बतोर सहमति प्रदान की है जिसकी पुष्टि पर्चा खतौनी की [illegible] पर वादी के हस्ताक्षर से बखुबी साबित है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद सख्या 6 जिसप्रकार से वर्णित किया है गलत होने से अस्वीकार है। सैटमेन्ट कर्मचारियो सैटमेन्ट के समय खसरा परिशोधन पत्र के द्वारा सम्वत 2040 अर्थात 1983 में जो कार्यवाही की गई वह सैटमेन्ट के समय ही की गई कार्यवाही है जो कि वैध व

सहायक कलक्टर आमेर न. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested

मान्य कार्यवाही थी सैटमेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही व निर्णय अन्तिम हो चुका है इसलिये उसे 1983 लगभग 43 साल बाद चुनौती देने का अधिकार नही है। इसलिये उक्त मद के गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। जब वादी का वाद ही चलने योग्य नही है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद सख्या 7 जिस प्रकार से वर्णित किया है गलत होने से अस्वीकार है। उक्त मद में प्रार्थी द्वारा जिन उपहार पत्रो का हवाला दिया गया है वह रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेजो को राजस्व न्यायालय में चुनोती नही दी जा सकती है उक्त दस्तावेजो को समक्ष सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा लेते तब तक उक्त वाद को सुनने ,का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। तथा भूमि की 90 ए की कार्यवाही भी जयपुर विकास प्राधिकारण जयपुर द्वारा की जा चुकी है जे.डी.ऐ के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी को 90 ए की कार्यवाही को चुनोती देने के लिये जे.डी ए चाराजोही करने के पश्चात् ही वाद लाने का अधिकारी था वादी द्वारा जे.डी.ए. के प्रावधानो के विपरीत होने से प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद सख्या 8 जिसप्रकार से वर्णित किया है वादी का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ वादी द्वारा तथाकथित दिनांक 05–08–2024 का कथन मात्र वाद कारण दर्ज करने के आशय से लिखा गया है वादी का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है वादी का वाद, वाद कारण के अभाव में काबिले खारिज है। जब वादी का वाद ही खारिज किये जाने योग्य है तो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही काबिले खारिज है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद सख्या 9 जिसप्रकार से वर्णित किया है वादी का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ वादी द्वारा तथाकथित दिनांक 02–10–2024 का कथन मात्र वाद कारण दर्ज करने के आशय से लिखा गया है वादी का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है वादी का वाद, वाद कारण के अभाव में काबिले खारिज है। जब वादी का वाद ही खारिज किये जाने योग्य है तो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही काबिले खारिज है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद सख्या 10 जिस प्रकार से वर्णित किया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन नही है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद सख्या 11 जिस प्रकार से वर्णित किया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन नही है तो अप्रार्थी को पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। अतः जवाबदाता की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाबदाता को जवाब रिकोर्ड पर लिया जाकर, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
उत्तर द्वि. जयपुर

है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के विन्दू को देखा जाना है।

प्रार्थी ने जाहिर किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में गोपी पुत्र माना 1/4 भाग का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था, गोपी की मृत्यु के पश्चात विधिक वारिसान, बद्रीनारायण, सुरजमल, लक्ष्मीनारायण थे तथा उक्त आराजी का विभाजन पत्र तैयार करते समय जीवित अवस्था में थे किन्तु सेटलमेन्ट ने गोपी पुत्र माना के 1/4 भाग की सम्पूर्ण भूमि विभाजन पत्र के आधार पर ही तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज व बिना सहमति पत्र के बिना ही सूरजमल एवं बद्रीनारायण के हिस्से की खातेदारी समाप्त कर दी तथा लक्ष्मीनारायण के नाम सम्पूर्ण आराजी कर दी, जिसका कि सेटलमेन्ट अधिकारी कर्मचारियों को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। उक्त के संबंध में घोषणा एवं स्थाई निषाधाज्ञा चाही गई है। चूंकि वाद घोषणा का है, यदि उक्त आराजी का बेचान, अथवा खुद–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है, प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र बखूबी साबित किया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ने यह कही भी साबित नहीं किया की क्यो उनको अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है फलस्वरूप उभयपक्ष वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर हाल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 35, 37, 38, 47, 48 खसरा नंबर के हाल खसरा नंबर 1102/48, 1103/48, 51, 52, ख नं. 52 के हाल खसरा नंबर 1164/53, 1165/52, 1166/52, 1167/52, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 48 के हाल 24 नं. 1102/48, 1103/58 161, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 191 कुल किता 26 कुल रकबा 55 बीघा 17 बिस्वा में मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:27 IST
Reason: SelfAttested